<u>न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू</u>

	पीठासीन अधिकारी :	स्वाति आर.टी.एस
	मिसल नं.–	57/2023
सरकार	बनाम	रमेश पुत्र मंदरूप, जाति जाट निवासी नेतरामपुरा तहसील सुरजगढ

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 07.07.2023

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रमेश पुत्र मंद[illegible] जाति जाट निवासी नेतरामपुरा तहसील सुरजगढ द्वारा रोही मौजा नेतरामपुरा की राजकीय भूमि ख[illegible] नम्बर 39 के कुल रकबा 10.33 है गै. मु. जोहड में से 0.08 है0 पक्का मकान एवं तार बाड़ एंव कुरड[illegible] करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कि[illegible] गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने जरिये पुत्र हाजिर अदालत होकर ज[illegible] नोटिस पेश किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी ह[illegible] को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 18 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी ज[illegible] पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल श[illegible] होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं....16....पर
वर्ष 23-24......मे रूपये..18/-.... कायम किए
राजस्व लेखाकार